न्यायालय– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

पीठासीन अधिकारी ::: श्री प्रवीण शंकर, आरजेएस

सी.आई.एस नम्बर ::: 3028/2018
सी.एन.आर. नम्बर ::: RJBE020056792018

01. जसवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी आनन्दपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर राज.

.....परिवादी/प्रार्थी

बनाम

01. कल्याण गुर्जर पुत्र चोथू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम गुडडा पोस्ट मानुपरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर राज.

.....अभियुक्त/अप्रार्थी

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881

उपस्थितः

1. श्री प्रवीण जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी।
2. श्री शिवदास राठोड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक – 06.06.2026**

1. यह अन्वीक्षा अभियुक्त कल्याण गुर्जर पुत्र चोथू गुर्जर के विरूद्ध परिवादी जसवंत द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27.06.2018 के अनुसरण में प्रारंभ हुई है।

2. परिवादी ने एक परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त कल्याण गुर्जर ने परिवादी जसवंत से दिनांक 31.03.2016 को 20,00,000/–रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये बतौर कर्ज उधार लिए थे, जिस बाबत एक इकरारनामा निष्पादित कर बामौजूगी गवाहान के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर अंगूठा निशानी लगाकर प्रार्थी को संभलाया जो प्रार्थी की बकाया चली आ रही है। प्रार्थी की बकाया मांगती रकम के भुगतान स्वरूप अप्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अपने हस्ताक्षर अपने बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किराप के अपने खाते के 5 चैक क्रमशः चैक संख्या 526035 दिनांक 07.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526036 दिनांक 08.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526037 दिनांक 09.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526038 दिनांक 10.05.

2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526039 दिनांक 11.05.2018 रकम 4 लाख रूपये इस प्रकार कुल 20,00,000/–रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये के दिऐ तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी को यह भरोसा एवं पूर्ण विश्वास दिलाया कि उक्त चैकों से संबंधित देय राशि का भुगतान उक्त बैंक शाखा के द्वारा अकिंत देय तिथि या उसके पश्चात् प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत करने पर हर सूरत में अदा कर दिया जायेगा। अप्रार्थी के द्वारा जारी किए गए चैक संख्या 526035, 526036, 526037, 526038, 526039 को प्रार्थी के द्वारा भुगतान की प्राप्ति के लिये अप्रार्थी के कहेनुसार नियत तिथि पर अपने बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मसूदा में स्थित अपने खाते में प्रस्तुत किया जो कि जरिये समाशोधन के मार्फत भुगतान के वास्ते बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किराप में स्थित अप्रार्थी के खाते में दिनांक 11.05.2018 को प्रस्तुत किए गए, लेकिन उक्त दिवस को उक्त बैंक शाखा ने स्थित अप्रार्थी के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण उक्त चैकों से संबंधित देय कुल राशि तादादी 20,00,000/– रूपये का भुगतान बै।क ऑफ बड़ौदा द्वारा अदा नहीं किया जाकर उक्त चैकों को अनादरित करते हुए अपने चैक वापसी ज्ञापन दिनांक 11.05.2018 के कॉलम संख्या 19ए में Insufficient funds की टिप्पणी के साथ अनादरितशुदा उक्त असल चैकों व पृथक–पृथक चैक वापसी ज्ञापन दिनांक 11.05.2018 सहित बैंक ऑफ बड़ौदा, शाख मसूदा को लौटाये। इसके पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर उक्त जानकारी दी तथा उक्त चैकों की राशि की भुगतान की मांग की तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त चैकों की रकम 20 लाख रुपये अदा नहीं की तथा टालम टोल करते हुए टाल दिया। तत्पश्चात प्रार्थी के द्वारा जरिये अभिभाषक श्री प्रवीण जैन के मार्फत अप्रार्थी को एक सूचना पत्र जरिये रजिस्टर्ड ए/डी द्वारा दिनांक 23.05.2018 को अप्रार्थी के उक्त पंजीकृत पते पर भिजवाया जाकर अप्रार्थी से मांग की गयी कि अप्रार्थी प्रेषित किये गये रजिस्टर्ड ए. डी सूचना की प्राप्ति से योग पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर अनादरितशुदा उक्त चैकों से सम्बन्धित देय राशि 20,00,000/– रूपये का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लेवें। अप्रार्थीा को उक्त रजिस्टर्ड ए.डी सूचना पत्र प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार उक्त सूचना पत्र की विधिवत तामिली हो जाने के बावजूद भी सूचना पत्र में उल्लेखित निर्देशों की अनुपालना जानबुझकर, बदनियतिवश निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं की है। इस कारण से मौजूदा परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के कारण से दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

प्रार्थी ने परिवाद के अंत में निवेदन किया कि– अप्रार्थी को धारा 138 पराक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के प्रावधानों के तहत अधिकतम

साधारण दो वर्ष के कारावास की सजा से एवं अनादरितशुदा चैकों से सम्बन्धित राशि तादादी रूपये 20,00,000/– रूपये मात्र की दुगनी राशि से जुर्माना सहित दण्डित किये जाने के आदेश फरमाए जाने का निवेदन किया।

3. न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से एनआईएक्ट संबोधित किया जायेगा) के अपराध का बनना पाए जाने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

4. अभियुक्त के उपस्थित आने पर धारा 138 एनआई एक्ट का आरोप सारांश विरचित कर मौखिक रूप से सुनाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. परिवादी ने साक्ष्य के दौरान परिवादी जसवन्त सिंह ने मुख्य परीक्षण का अपना साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वयं को पीडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित करवाया तथा परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में असल इकरारनामा दिनांक 31.03.2016 प्रदर्श पी1, चैक संख्या 526035 दिनांक 07.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी2, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी3, चैक संख्या 526036 दिनांक 08.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी4, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी5, चैक संख्या 526037 दिनांक 09.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी6, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी7, चैक संख्या 526038 दिनांक 10.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी8, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी़9, चैक संख्या 526039 दिनांक 11.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी10, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी11, सूचना पत्र/नोटिस प्रदर्श पी–12, डाक रसीद प्रदर्श पी–13, असल लिफाफा मय असल नोटिस सहित प्रदर्श पी14 को प्रदर्शित करवाया गया है। अन्य कोई गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य परिवादी बंद की गयी। परिवादी गवाह से बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

6. परिवादी साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत किया गया जिस पर अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि ***"परिवादी मेरे मिलने वाला था। परिवादी को नया वाहन लेना था तो उसने गारण्टी पेटे मेरे से चैक लिया था।"*** साक्ष्य प्रतिरक्षा में बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा,

परंतु बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा इकरारनामा व चैक पर अपने हस्ताक्षर होने का खंडन नही किया है। परिवादी अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने का कथन कर उसे दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा लिखित बहस पेश कर दौराने बहस मुख्यतः यह तर्क दिया गया कि परिवादी अपनी वित्तीय क्षमता को साबित करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त के विरूद्ध मामला प्रमाणित नहीं होने का कथन कर उसे दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए :–

1. Pushpa Devi Vs Hanuman Ram, 2019, Supreme (Raj.) 1606
2. Basalingappa Vs Mudibasappa, ABC 2019(II) 191 SC

<u>अवधारणीय बिन्दु</u> –

''क्या अभियुक्त ने अपने बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा किराप के 5 चैक क्रमशः चैक संख्या 526035 दिनांक 07.05.2018 रकम 4 लाख, चैक संख्या 526036 दिनांक 08.05.2018 रकम 4 लाख, चैक संख्या 526037 दिनांक 09.05.2018 रकम 4 लाख, चैक संख्या 526038 दिनांक 10.05. 2018 रकम 4 लाख, चैक संख्या 526039 दिनांक 11.05.2018 रकम 4 लाख इस प्रकार कुल 20,00,000/–रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये के अपने विधिक दायित्व के बदले परिवादी के पक्ष में जारी किए है, जिसे परिवादी द्वारा भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर ''Insufficient funds'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया। जिस पर परिवादी की ओर से अभियुक्त को दिनांक 23.05.2018 को विधिक नोटिस दिये जाने पर भी अभियुक्त ने उक्त चैकों में वर्णित राशि का भुगतान नियम समयावधि में नहीं किया" ? यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार है ?

<u>विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन :–</u>

8 उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को साबित करने हेतु परिवादी जसवन्त सिंह द्वारा स्वयं को बतौर पीडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित करवाया गया है तथा गवाह अपने शपथ पत्र में कथन करता है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.03.2016 को परिवादी से 20 लाख रुपये उधार लिए थे, जिस बाबत एक इकरारनामा गवाहान के समक्ष अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर कर

अंगूठा निशानी लगाकर परिवादी को संभलाया। गवाह आगे यह कथन करता है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी से बतौर कर्ज 20,00,000/—रुपये के पुनर्भुगतानस्वरूप अप्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अपनी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किराप के अपने खाते के 5 चैक क्रमशः चैक संख्या 526035 दिनांक 07.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526036 दिनांक 08.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526037 दिनांक 09.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526038 दिनांक 10.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, चैक संख्या 526039 दिनांक 11.05.2018 रकम 4 लाख रूपये, कुल 20,00,000/—रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये के अपने हस्ताक्षरों से जारी कर प्रार्थी को संभलाये। तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा दिलाए गए विश्वास एवं भरोसे के अनुसार उक्त चैकों को प्रार्थी ने अपने बैंक, ऑफ बड़ौदा, शाखा मसूदा में स्थित अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने हेतु जमा करवाये। जिस पर प्रार्थी की उक्त बैंक ने उक्त चैकों को क्लीयरेंस हेतु अप्रार्थी की बैंक में भिजवाया, लेकिन अप्रार्थी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण रिटर्न मीमो दिनांक 11.05.2018 में **इनसफिशिएंट फंड** के इंद्राज से उक्त पांचों चैक प्रार्थी के बैंक को लौटा दिए गए। उक्त विवादित चैक वापस प्राप्त होने के पश्चात परिवादी ने अपने अभिभाषक के जरिये एक नोटिस दिनांकित 23.05.2018 पंजीकृत डाक से अभियुक्त के पंजीकृत/ज्ञात पते पर प्रेषित करवाकर, उक्त वर्णित चैकों की रकम के भुगतान की मांग की। उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया उसके बावजूद अभियुक्त द्वारा 15 दिवस में व उसके पश्चात उक्त राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। उक्त परिवाद विहित समयावधि में पेश किया गया है। परिवादी द्वारा असल इकरारनामा दिनांक 31.03.2016 प्रदर्श पी1, चैक संख्या 526035 दिनांक 07.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी2, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी3, चैक संख्या 526036 दिनांक 08.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी4, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी5, चैक संख्या 526037 दिनांक 09.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी6, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी7, चैक संख्या 526038 दिनांक 10.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी8, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी9, चैक संख्या 526039 दिनांक 11.05.2018 रकम 4 लाख रुपये प्रदर्श पी10, रिटर्न मीमों दिनांक 11.05.2018 प्रदर्श पी11, सूचना पत्र/नोटिस प्रदर्श पी—12, डाक रसीद प्रदर्श पी—13, असल लिफाफा मय असल नोटिस सहित प्रदर्श पी14 को प्रदर्शित करवाया गया है। गवाह असल इकरारनामा प्रदर्श पी—1 व पांचों विवादित चैकों पर ए से बी अभियुक्त कल्याण गुर्जर के हस्ताक्षर होने तथा उक्त हस्ताक्षर परिवादी के सामने किए जाने का कथन करता है।

9. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118 व 139 में चैक धारक के पक्ष में यह विधि है कि न्यायालय द्वारा यह उद्धारित किया जाएगा कि चैकों के धारक ने किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु उक्त चैक प्राप्त किए थे। परिवादी पी.ड.01 जसवन्त सिंह की आई उपरोक्त साक्ष्य से गवाह द्वारा प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को राशि की अदायगी बाबत् दिए जाने की साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य के प्रकाश में उपरोक्त प्रावधानुसार उपधारणा की जाती है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत पांचों चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए दिए गए थे। उक्त उपधारणा चूंकि खण्डनीय प्रकृति की है तथा इसे खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

10. बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में तथा उपधारणा के खंडन में कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की गई है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी पी.ड.01 जसवन्त सिंह से जो प्रतिपरीक्षण किया गया है उसमें इन तथ्यों का खण्डन नहीं हो पाया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य इकरारनामा प्रदर्श पी–1 निष्पादित किया गया था तथा अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत पांचों चैक अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को सुपुर्द किए गए थे। अभियुक्त द्वारा बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी से जान पहचान होने तथा परिवादी को चैक दिया जाना स्वीकारा है। बचाव पक्ष द्वारा मुख्यतः यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्त को नया वाहन खरीदना था इसके लिए पांचों चैक बतौर सिक्योरिटी पेटे परिवादी को सुपुर्द किए थे, परन्तु बचाव पक्ष उक्त तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। इकरारनामा प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से 20 लाख रुपये उधार लिए गए थे, जिसकी अदायगी के पेटे उक्त पांचों चैक अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर करके परिवादी को सुपुर्द किए गए थे। इकरारनामा प्रदर्श पी–1 व प्रश्नगत पांचों चैकों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने की परिवादी साक्ष्य का खण्डन बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का यह तर्क कि उधार लिए जाने का कोई संव्यवहार परिवादी व अभियुक्त के मध्य नहीं हुआ था तथा अभियुक्त ने परिवादी से कोई राशि उधार प्राप्त नहीं की थी एवं परिवादी ने धोखे से इकरारनामा निष्पादित करवाया था, जिसका परिवादी द्वारा दुरूपयोग किया गया है, न्यायालय के मत में प्रमाणित नहीं होता है। इकरारनामा प्रदर्श पी–1 अपने आपमें स्पष्ट है तथा यदि वह बचाव पक्ष के तर्क अनुसार धोखे से निष्पादित किया करवाया जाता तो अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा इकरारनामा के गवाहों को भी बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य हेतु न्यायालय में परीक्षित करवाया जा सकता था। इस प्रकार प्रदर्श पी–1 से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा 20 लाख रुपये की उधार राशि की अदायगी के पेटे प्रश्नगत पांचों चैक जारी कर परिवादी को सुपुर्द किए गए थे।

11. बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी के पास तथाकथित 20 लाख रुपये देने की वित्तीय क्षमता नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्य अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से पृथक होने से हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य रकम उधार दिए जाने के संबंध में इकरारनामा प्रदर्श पी–1 निष्पादित होना तथा उसके जरिये 20 लाख रुपये अभियुक्त द्वारा परिवादी से उधार प्राप्त कर प्रश्नगत पांचों चैक जारी कर परिवादी को दिया जाना प्रदर्श पी–1 इकरारनामा में अंकित है। अभियुक्त की ओर से इकरारनामा पर अपने हस्ताक्षर किए जाने तथा चैक जारी कर परिवादी को दिए जाने का खंडन नहीं किया गया है। अतः न्यायालय के मत में इकरारनामा प्रदर्श पी–1 में अंकित तथ्यों के प्रकाश में इस स्तर पर परिवादी की वित्तीय क्षमता नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त परिवादी पीडब्ल्यू 1 से हुए प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करे तो उसमें भी परिवादी की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि परिवादी द्वारा तथाकथित राशि 20 लाख रुपये अभियुक्त को उधार दिए जाने की क्षमता तत्समय नहीं रही हो। अतः बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य प्रकट नहीं हुआ है।

12. बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को भेजा गया नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में नोटिस दिनांक 23.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्त के पते पर भिजवाई जाने की साक्ष्य दी, जिसकी असल डाक रसीद प्रदर्श पी 13 तथा लोटकर आया असल लिफाफा प्रदर्श पी14 को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। प्रदर्श पी14 पर अंकित पता अभियुक्त का नहीं हो ऐसा कोई तर्क अथवा साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से पेश नहीं हुई है। अतः न्यायालय के मत में परिवादी द्वारा अभियुक्त को उसके सही पते पर नोटिस प्रेषित करवाया जाना प्रमाणित हुआ है। नोटिस के लोटकर आने का कारण पते से बाहर होना जाहिर किया है, परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से नहीं आई है कि दर्ज पते पर अभियुक्त व उसका परिवार निवासरत नहीं हो तथा नोटिस देते समय अभियुक्त के परिवार का अन्य कोई भी सदस्य नहीं हो। न्यायालय का मत है कि नोटिस सही पते पर प्रेषित किए जाने तथा केवल अभियुक्त का तत्समय पते पर मौजूद नहीं होने के कारण नोटिस का लोटकर आने से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त को नोटिस की जानकारी नहीं हुई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Bhaskaran v. Sankaran reported in (1999) 7 SCC 510**, and in **Dalmia Cement (Bharat) Ltd. v. M/s. Galaxy Traders reported in AIR 2001SC 676,** the Hon"ble Supreme Court held that to constitute an

offence under section 138 N.I. Act, the complainant is obliged to prove its ingredients which includes the receipt of notice by the accused under Clause (b). This to be kept in mind that it is not the 'giving' of the notice which makes the offence but it is the 'receipt' of the notice by the drawer which gives the cause of action to the complainant to file the complaint within the statutory period. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **State of M. P. v. Hira Lal reported in (1996) 7 SCC 523 as well as in Jagdish Singh v. Nathu Singh reported in AIR 1992 SC 1604,** the Hon"ble Supreme Court held that where the addressee manages to have the notices returned with postal remarks "refused", "not available in the house," "houselocked" and "shop closed" respectively, it must be deemed that the notices have been served on the addressee. In **C.C.Alavi Haji vs. Palapatty Muhammad and another reported in 2007 (6) SCC 555,** the Hon"ble Supreme Court further held that a person who does not pay within 15 (fifteen) days of receipt of the summons along with the copy of the complaint under section 138 of the N.I. Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under section 138 of the Act. परिवादी द्वारा अभियुक्त को विवादित चैकों में वर्णित राशि की मांग बाबत नोटिस उसके पते पर प्रेषित किया जाना प्रमाणित किया है जिसका खंडन करने में बचाव पक्ष असमर्थ रहा है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में बचाव पक्ष का तर्क अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

13. इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा परिवादी तथा अभियुक्त के मध्य इकरारनामा प्रदर्श पी–1 के निष्पादन तथा प्रश्नगत पांचों चैकों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर व उन्हें परिवादी को सुपुर्द किए जाने के तथ्यों का कोई खंडन नहीं हुआ है। इकरारनामा प्रदर्श पी–1 में अंकित इबारतों से अभियुक्त द्वारा 20 लाख रुपये उधार लिया जाना तथा उसकी अदायगी हेतु प्रश्नगत चैकों को परिवादी को दिया जाना प्रमाणित हुआ है। बचाव पक्ष अपनी प्रतिरक्षा को साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय का मत है कि बचाव पक्ष अभियोजन कहानी का खंडन करने में असफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में परिवादी सफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

14. फलतः अभियुक्त कल्याण गुर्जर पुत्र चोथू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम गुडडा पोस्ट मानुपरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर राज. **को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य** लिखत अधिनियम, 1881 के अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय हाजा में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

15. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सम्मन मामला है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

16. इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अभियुक्त को विधि अनुसार दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

17. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पुनः संपूर्ण पत्रावली व संबंधित विधि का दंड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराध का आरोप साबित है। प्रकरण वर्ष 2018 से लंबित है। वर्तमान में चैक अनादरण के मामलों में हो रही अभिवृद्धि और दैनिक जीवन में व्यक्तिगत तथा व्यापारिक एवं आर्थिक जगत में चैक के माध्यम से किये गये संव्यवहार को विश्वसनीय बनाये रखने के लिये न्यायालय अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: दण्डादेश :—

18. अतः अभियुक्त **कल्याण गुर्जर पुत्र चोथू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी ग्राम गुडडा पोस्ट मानुपरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर राज.** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने के परिणामस्वरूप **डेढ़ वर्ष के साधारण कारावास** की सजा से दंडित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त **25,00,000/—रुपये (अक्षरे पच्चीस लाख रुपये)** बतौर प्रतिकर राशि परिवादी को अदा करेगा। अदम अदायगी

प्रतिकर अभियुक्त **6 माह** का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा।

19. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बितायी गयी पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में से मुजरा किया जावें।

20. अभियुक्त द्वारा शेष प्रतिकर राशि **25,00,000/—रुपये (अक्षरे पच्चीस लाख रुपये)** न्यायालय में जमा करवाया जावे एवं बाद गुजरने मियाद अपील की अवधि व्यतीत होने पर परिवादी को नियमानुसार प्रतिकर राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप अदा की जावें।

21. अभियुक्त का सजा वारण्ट पृथक से बनाया जावें।

22. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावें।

(प्रवीण शंकर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर

23. निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन सुनाया गया।

(प्रवीण शंकर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.06.06 13:20:40 IST

acjmcristeno